भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1471

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

कुशल श्रमिकों के रोजगार की स्थिति

1471. श्री अ. मनि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कौशल और औपचारिक प्रशिक्षण होने के बावजूद बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक बेरोजगार या अल्प-नियोजित हैं और काम की तलाश में अन्य राज्यों या विदेशों में प्रवास करने के लिए मजबूर हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या धर्मपुरी जैसे उच्च बाह्य-पलायन वाले जिलों में कुशल श्रमिकों की बेरोजगारी की दर असंगत रूप से अधिक है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों के बीच बनी हुई इस तरह की निरंतर बेरोजगारी की स्थिति के लिए कौन से कारण चिन्हित किए गए हैं जिनमें कौशल प्रशिक्षण और उद्योग की मांग के बीच अंतराल, स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी और कमजोर प्लेसमेंट लिंकेज शामिल हैं; और

(घ) कौशल कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने, पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षुता और प्लेसमेंट सहायता को मजबूत करने तथा कुशल युवाओं के मजबूरन पलायन को कम करने के लिए परिणामों की निगरानी करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने देश भर के युवाओं को कुशल बनाने और उद्योग जगत की कुशल जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत 31 नए आधुनिक/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रमों सहित 169 एनएसक्यूएफ-अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, डीजीटी प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने, उद्योग जगत से संबंधों को मजबूत करने और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकियों और उद्योग प्रथाओं से परिचित कराने के लिए फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है ।

एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत मंच है जो जीवन भर सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है। संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध है। एसआईडीएच के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, देश भर में प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए रोजगार और शिक्षुता के अवसरों को सुविधाजनक बनाने हेतु रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं।

*****